राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3995/2025

राजीव लोचन शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारिता समितियां, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार के पद से सहकारिता विभाग, जयपुर से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.04.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत हो चुका है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 14.11.2022 एवं दिनांक 23.01.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दिनांक 27.02.2019 से 24.09.2021 और दिनांक 24.09.2021 से 21.02.2022 की अवधि के लिए जान बूझकर डयूटी से अनुपस्थित रहने के संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त आरोप पत्र अपीलार्थी की सेवानिवृति से पहले जारी किया गया था, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी वित्तीय अनियमिता से संबंधित कोई आरोप पत्र नहीं था। अपीलार्थी ने सेवानिवृति के बाद माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2268/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 11.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अंतिम पेंशन जारी करने के निर्देश दिये गये और उसके बाद अपीलार्थी को अंतिम पेंशन की अनुमति दी गई। अपीलार्थी अवकाश नकदीकरण का भुगतान पाने का अधिकारी है, इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 27.11.2024 (अनुलग्नक–1) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि आरएसआर के प्रावधानों के साथ–साथ वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार दिनांक 21.01.2022 (अनुलग्नक–4) को अवकाश नकदीकरण का भुगतान तब भी किया जा सकता है जब सीसीए नियम 1958 के नियम–16 के तहत जांच लंबित हो, बशर्ते आरोप वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित न हो और किसी वसूली की संभावना न हो।

प्रत्यर्थ विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवानिवृति के बाद अवकाश नकदीकरण के भुगतान का लाभ जारी नहीं किया गया है, अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने तथा अपीलार्थी के पक्ष में अवकाश नकदीकरण का भुगतान जारी करने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य